

General Diary Details
सामान्य डैनिकी विवरण

State (राज्य): उत्तर प्रदेश

P.S. (थाना): विन्ध्याचल

District/Unit (जिला/इकाई): मिर्जापुर

1. G.D. No. (रोजनामका सं.): 057

2. G.D. Date (रोजनामका दिनांक): 14/09/2024 15:51 बजे

3. G.D. Type (रोजनामका प्रकार): नियंत्रक कार्रवाई में गिरफ्तारी

4. Entry for (officer) (प्रविष्टि/अधिकारी के लिए): अवर निरीक्षक

5. Case Type (प्रकरण के प्रकार): चोरी

6. Subject (विषय):

वापसी 30नि0 व टाबाना 02 नफर आरोपीगण व 02 किता बालानी रिपोर्ट अन्तर्गत धारा 170/126/135 BNSS.....

7. G.D. Brief

वापसी 30नि0 व टाबाना 02 नफर आरोपीगण व 02 किता बालानी रिपोर्ट अन्तर्गत धारा 170/126/135 BNSS.....

मैं 30नि0 किनोद कुमार यादव मय हमराह होंगा0 शिवकुमार के खाना शूटा रो0 आम तारीखी इमरोजा से बाट देखभाल क्षेत्र, जाँच पा0पत्र से मय गिरफ्तार शूटा 02 नफर आरोपीगण प्रथम पक्ष के प्रमोद कुमार कुशवाहा पुत्र रामबली कुशवाहा उम्र करीब 38 वर्ष हुलिया- सावला रंग, गोला चेहरा, टोहरा मजबूत जिस्म, कट, काठी औसत चोट मिल व द्वितीय पक्ष के मनोज कुमार कुशवाहा पुत्र रामबली कुशवाहा उम्र करीब 51 वर्ष समस्त निवासीगण गोडसर सरपती थाना विन्ध्याचल मीरजापुर हुलिया- सावला रंग, लम्बा चेहरा, टोहरा मजबूत जिस्म, कट, काठी औसत चोट मिल मय 02 किता द्विपक्षीय कारी0 अन्तर्गत धारा 170/126/135 BNSS के खाना वापस आया। बाट निवाने आरोपीगण को जामा तलाशी समूह सन्तरी पहरा के न होने बरामट कोई शय आरोपी ताजा चोटों से पाक साफ है, आरोपीगण को अन्दर हवालत मर्दाना टाबिल किया गया, जो पूर्व से खाली व साफ है। अन्दर मानवगृह से रिहायशी हेतु कम्बल दिया गया। बालानी रिपोर्ट खाना कार्यालय टाबिल करते हुए मुनासिब हिदायत किया गया। विवरण कार्य इस प्रकार है कि मैं 30नि0 मय हमराह के थाना हाजा से प्रस्थान कर देखभाल क्षेत्र, जाँच पार्थना पत्र व जाँच एनसीआर नं0 -104/24 व 105/24 धारा 115(2)/352 बी0एन0एस0 की जाँच में थाना गोडसर सरपती पहुँचा तो जात हुआ कि प्रथम व द्वितीय पक्ष उपरोक्त के मय पानी बहाने की बात को लेकर व एनसीआर कायम होने की बात को लेकर पुनः कहा सुनी व बियाट कर रहे थे। भोके पर हम पुलिस वालों द्वारा पहुँच कर दोनों पक्षों को काफी समझाया बुझाया गया तो उभय पक्ष उपरोक्त मौके पर मानने को तैयार नहीं थे और उग्र होकर आमटा-फौजदारी पर उतार हो गये। भोके पर संज्ञेय अपराध की आशंका को देखते हुए अलावा गिरफ्तारी कोई विकल्प न देकर आदेपी उपरोक्त को समय करीब 15:30 बजे अन्तर्गत धारा 170 BNSS में गिरफ्तार किया गया। अगर गिरफ्तार न किया जाता तो अवश्य ही कोई अप्रिय घटना घटित हो जाती। गिरफ्तारी की सूचना मौके से ही आरोपीगण के परिजन को दी गयी। गिरफ्तारी के समय मानवाधिकार आयोग एवं मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों निर्देशों का अक्षरशः पालन किया गया। शान्ति व्यवस्था के दृष्टिगत प्रथम पक्ष के मिथिलेश मोर्य पुत्र राधेश्याम निवासी टीसेनतुलापुर थाना मान्डा जनपद प्रयागराज उम्र 28 वर्ष व द्वितीय पक्ष के मनोज कुमार कुशवाहा पुत्र रामबली कुशवाहा निवासी गोडसर सरपती थाना विन्ध्याचल जनपद मीरजापुर उम्र 51 वर्ष का बालान अन्तर्गत धारा 126/135 बी0एन0एस0 में मा0 न्यायालय किया गया। अतः माननीय न्यायालय से निवेदन है कि उपरोक्तगण को तानव कर अधिक से अधिक धनराशि व मुचलके पर पाबन्त करने की कृपा करें। थाना हाजा आकर आरोपीगण को हवालत मर्दाना व बालानी रिपोर्ट कार्यालय टाबिल किया गया। विस्तृत विवरण मुन्दर्जी बालानी रिपोर्ट है। शेष कुशलता रही। HM/CM को हिदायत किया गया कि तकमीला सम्बन्धी रजिस्ट्रान कर आरोपी को मय बालानी रिपोर्ट के समय से मा0 न्यायालय खाना करें। बाट वापसी पुनः देखभाल क्षेत्र में खाना हुआ।

8. Acts & Sections (अधिनियम और धारा(एँ)):

S.No.(क्र.सं.) Acts (अधिनियम)

Sections (धाराएँ)

Report Printed on (रिपोर्ट मुद्रण की दिनांक): 03/12/2024

Report Printed by (जिस के द्वारा रिपोर्ट मुद्रित):

Name (नाम): AMIT KUMAR

Rank (पद): SI (Sub-Inspector)

Signature (हस्ताक्षर):

Name (नाम): AMIT KUMAR

Rank (पद): SI (Sub-Inspector)

No. (नं.): 13210186

